न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2025 नामांतरकरण अपील

1. रामावतार पुत्र हरिराम
2. विशाल पुत्र रघुवीर जरिये संरक्षिका मां गुलाब देवी
3. सुकली पत्नि हरिराम
4. हरदेव पुत्र रामसहाय
5. करिश्मा पुत्री रघुवीर नाबा.जरिये संरक्षिका मां गुलाब देवी
6. गुलाब देवी पत्नि रघुवीर
7. जयसिंह पुत्र हरिराम
8. मनभरी देवी पत्नि कंचन

समस्त जाति गुर्जर निवासी कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र काल्या
2. नाथू पुत्र रामकुंवार

समस्त जाति गुर्जर निवासी कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 08.09.1961 ग्राम कैलाई तहसील सिकराय द्वारा तस्दीक नायब तहसीलदार सिकराय)

उपस्थिति :–: श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : 04.02.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट व रेपोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिनका पारिवारिक सजरा के अनुसार जयनारायण के चार पुत्र रामकुवार, काल्या, रामसहाय व हरिराम हुये। ग्राम कैलाई तहसील सिकराय में साबिक खसरा नंबर 308 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा सिवाई चक भूमि थी। जिस पर रामकुंवार, काल्या, रामसहाय व हरिराम का कब्जा काफी पुराने समय से चला आ रहा था तथा उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी हेतु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 85 खोला गया जिसमें पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि रामकुंवार, काल्या, रामसहाय व हरिराम पिसरान जयनारायण का कब्जा चला आ रहा है परन्तु अधीनस्थ नायब तहसीलदार दौसा ने जो नामान्तकरण तस्दीक किया है वह पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअन्दाज करते हुए केवल मात्र काल्या पुत्र जैन्या के नाम ही तस्दीक किया है जो अवैधानिक है। उक्त अवैधानिक नामान्तरकरण के आधार पर काल्या पुत्र जैन्या के नाम गलत तरीके से खातेदारी दर्ज हो गई उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। उक्त नामांतकरण संख्या 85 दिनांक 08.09.1961 ग्राम कैलाई तहसील सिकराय को निरस्त करवाने हेतु अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो का दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ नायब तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 85 दिनांक 08.09.1961 अवैधानिक तरीके से केवल मात्र काल्या के नाम तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने नामांतरकरण में स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की है कि रामकुंवार, काल्या, रामसहाय, हरिराम पिसरान जयनारायण का विवादित भूमि खसरा नं. 308 पर कब्जा चला आ रहा है। परन्तु अधीनस्थ नायब तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए केवल काल्या पुत्र जैन्या के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया है। जबकि नायब तहसीलदार को खातेदारी देने के अधिकार नहीं थे, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार देने के अधिकार सिर्फ सहायक कलक्टर को थे। नायब तहसीलदार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान कर नामांतरकरण तस्दीक कर दिया। जो कि मूलतः शून्य आदेश है। प्रारम्भ से ही शून्य आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, RRT2023(2) पेज नं. 1241 में राजस्व राजस्व मण्डल अजमेर में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। RRD1990 पेज नं. 479 के अनुसार तहसीलदार द्वारा दी गई खातेदारी को अवैध माना गया है ऐसे अवैध आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। RRT2024(1) पेज नं. 175 के अनुसार तहसीलदार ने शक्ति से बाहर खातेदारी प्रदान की जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत खातेदारी अनुज्ञेय नहीं थी, तहसीलदार को खातेदारी देने के अधिकार नहीं थे। RRD1980 पेज नं. 464 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी कानून सम्मत पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दी जाती थी, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती थी, जागीरदार का पट्टा, गिरदावरी स्लिप्स या मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती थी। RRT2002(1) पेज नं. 53 में यह तय किया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 1998 RRD 319 में सिद्धान्त तय किया गया है कि अपील में अपीलान्ट के तथ्य हो तो मयाद के बिन्दु पर खारिज नहीं की जा सकती गुणावगुण पर निर्णय करें। नामान्तकरण की कार्यवाही न तो मजमे आम में की गई जबकि किसी भी नामान्तकरण को तस्दीक करने का सर्वप्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को है व ग्राम पंचायत 45 दिन में कोई कार्यवाही न करे तो ही तहसीलदार व नायब तहसीलदार को नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार है इसलिए भी नामान्तकरण अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का बुजुर्गो के समय से कब्जा चला आ रहा है व काश्त करते चले आ रहे है तथा आज दिन भी मौके पर कब्जे अनुसार काश्त कर रहे है परन्तु अधीनस्थ नायब तहसीलदार ने अवैधानिक तरीके से केवल मात्र काल्या के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया है जो अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तकरण प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलान्ट के पूर्वज को न तो सुनवाई का अवसर दिया और न ही किसी प्रकार की कोई जांच की। उक्त भूमि खसरा नं. 308 के वर्तमान खसरा नं. 1623, 1624 रकबा 1.23 हैक्टे. है जिसकी खातेदारी रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम से दर्ज है। कभी भी न तो काल्या ने और न ही मोहरसिंह ने कब्जे के संबंध में कोई विवाद किया न ही दखलन्दाजी की इसलिए अपीलान्ट्स को साबिक रिकार्ड लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई। दिनांक 29.07.2025 मोहरसिंह पुत्र काल्या ने अपीलान्ट्स को धमकी दी कि विवादित भूमि की खातेदारी मेरे नाम

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

से है इसलिए उक्त भूमि को मैं दीगर व्यक्तियों को विक्रय करेगा इस पर अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 85 की नकल लेने हेतु रिकार्ड शाखा में आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 04.08.2025 को प्राप्त हुई। जानकारी होने पर यह अपील पेश की गई है। ग्राम सीलाई तहसील सिकराय की संवत 2034 की जमाबन्दी में रामकुंवार, काल्या, रामसहाय, हरिराम पिसरान जयनारायण जाति गुर्जर के नाम 26 बीघा 15 बिस्वा भूमि का अंकन है। जो कि विवादित भूमि से अलग है तथा सभी खातेदारों के बराबर– बराबर हिस्से में है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर बुजुर्गान के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा आज दिन भी काबिज है तथा उक्त अवैधानिक नामान्तकरण से अपीलान्ट के हक हकूक प्रभावित होते है तथा अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है परन्तु अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वज अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे परन्तु उक्त नामान्तकरण से अपीलान्ट के हक हकूक प्रभावित होते है इसलिए अपीलान्ट अपील करने के अधिकारी है इसलिए दफा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 08.09.1961 को निरस्त कर तहसीलदार सिकराय को पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा नामान्तरकरण सं. 85 दिनांक 08.09.1961 के विरूद्ध लगभग 64 वर्ष बाद मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलांट्स को शुरू से ही विवादित भूमि काल्या के नाम खातेदारी दर्ज होने की पूर्ण जानकारी रही है। अपीलांट्स या अपीलांट्स के पूर्वजों का विवादित भूमि पर कभी कब्जा भी नहीं रहा है। शुरू से काल्या व वर्तमान में रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 का कब्जा रहा है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2025 को गल्लो देवी पत्नि धर्मेन्द्र सिंह, सुनीता गुर्जर पत्नि विजय सिंह, शकुन्तला गुर्जर पत्नि सुमेर सिंह, सावित्री देवी पत्नि भवानी सिंह, विनोद देवी पत्नि धारा सिंह, शान्तिदेवी पत्नि रामजीलाल गुर्जर निवासी बासड़ा तहसील सिकराय के हक में बेचान किया जा चुका है। जिसका नामान्तरकरण नहीं खुलने देने के उद्देश्य से 64 वर्ष बाद अत्यन्त ही असंतोषजनक विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में भी कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, केवल काल्या व मोहरसिंह द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में विवाद या दखलअंदाजी नहीं करना बताकर देरीना अपील पेश करने का कारण बताया गया है। जबकि 64 वर्ष तक खातेदारी के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होना सम्भव ही नहीं है। क्यों कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही गांव में रहते हैं तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 का व उससे पूर्व पूर्वज काल्या का कब्जा रहा है। अब भूमि बेचान कर देने के कारण मनगढंत प्रार्थना पत्र दफा–5 में कारण अंकित करते हुए अपील पेश की गई है। अपीलांट्स नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। नामान्तरकरण में स्पष्ट काल्या के कब्जे का अंकन है व काल्या के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मियाद के सम्बन्ध में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। **RRT2018(2)** पेज नं. 879 पर 60 वर्ष बाद नामान्तरकरण को दी गई चुनौती की अपील को बुरी तरह से मियाद बाधित मानकर नामान्तरकरण प्रोसिडिंग्स फिस्कल प्रोसिडिंग्स होना मानकर अपील खारिज की गई है। **RRT2018-19(Supp.)** पेज नं. 581 पर भी मियाद के सम्बन्ध में निर्णय दिये जाने के सम्बन्ध में

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। RRT2003(1) पेज नं. 650 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने नामान्तरकरण कार्यवाहीयों में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं होना मानकर अपील खारिज की है। इसलिये अपील अपीलांट्स मियाद बाहर एवं पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज फरमावें।

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के द्वारा विवादित भूमि के खातेदारी अधिकारों को चुनौती दी गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसके द्वारा किसी पक्षकार के स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता है। खातेदारी अधिकारों का निर्धारण एवं रिलीफ प्राप्त करने हेतु अपीलांट्स द्वारा सक्षम न्यायालय में उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। नामांतरकरण की अपील में विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार का निर्धारण किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

4/2/2026

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/2/2026

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Scanned with OKEN Scanner